न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)
राजस्व वाद संख्या 101/2016

श्रीमती सूरमा पत्नी श्री जफरू जी मेहरात जाति मेहरात निवासीनी ग्राम सरदारा का बाड़िया ग्राम पंचायत जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

–––––––वादीया

ब ना म

राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर

––––प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 22.9.2017

वादिया ने अपने वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है, कि मौजा जालिया II प्रथम, पटवार हल्का जालिया II प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत् 2069–2072 के खाता संख्या 1 खसरा संख्या 1598 कुल रकबा 20–14–00 किस्म छापर है जिसमें से 04–00–00 भूमि को वादग्रस्त भूमियों के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादग्रस्त 4 बीघा भूमि पर वादिया का सदियों से पूर्वजों के समय से शांतिपूर्ण तरीके से मालिकाना हक अधिकार, कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसमें कभी किसी प्रकार का विवाद नहीं रहा है, वादिया के पक्ष में समय–समय पर धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस भी आते रहे हैं, इतना ही नहीं खसरा गिरदावरियों से भी वादिया का ही कब्जा काश्त प्रमाणित चला आ रहा है, वादीया ने वर्णित भूमियों पर काफी मेहनत कर एवं काफी धन खर्च कर भूमियों का वर्तमान रूप दिया एवं काबिज काश्त बनाया। वादग्रस्त भूमियों के लगते हुए वादीया की अन्य खातेदारी भूमियां भी स्थित चली आ रही है। वादग्रस्त भूमियें में समय–समय पर तिल, ज्वार, बाजरा इत्यादि की फसले काश्त करती चली आ रही है, जिससे होने वाली आय वादिया के परिवार की आजिवीका का स्त्रोत भी है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत वादिया को नोटिस भी दिये गये ळैं जिसकी जमा कमी रसीदें वादिया को प्रदान की गई जो वादिया के पास मौजूद है किन्तु इसके बावजूद प्रतिवादी द्वारा वादिया का नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में बतौर खातेदार काश्तकार अंकन नहीं कर वादिया को अतिक्रमी मानते हुए राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर बेदखल करने पर आमादा है। वादीया की उपरोक्त कब्जे काश्त की वादग्रस्त भूमियों मे वादीया का सदियों से पूर्वजों के समय से शांतिपूर्ण तरीके से निर्विवाद सतत कब्जा काश्त चला आने के कारण वादीया वादग्रस्त भूमियों में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारिणी है एवं इस कारण वादीया को वादग्रस्त भूमियों से बेदखल नहीं किया जा सकता है तथा केवलमात्र वादग्रस्त भूमियों का वादिया के पक्ष में नियमन ही किया जा सकता है जिसकी निर्धारित शुल्क राशि अदा करने हेतु वादीया सदैव सहमत व तत्पर है। वादीया ने समय समय पर प्रतिवादी से मिलकर वादग्रस्त भूमियों के खातेदारी अधिकार वादीया को प्रदान करने हेतु निवेदन किया किंतु वादीया के निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जिसके कारण वादीया को वाद पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा है। ऐसी स्थिति में यह घोषित किया जाना आवश्यक है कि वादीया वादग्रस्त भूमियों की खातेदार काश्तकार है

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

घोषित किया जाना आवश्यक है एवं यह भी घोषित किया जाना आवश्यक है कि वादग्रस्त भूमियों से प्रतिवादी का कोई लेना–देना संबंध व सरोकार नहीं है ना ही वादीया को जबरन बेदखल करने का प्रतिवादी को कोई अधिकार है। वादीया के हक में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति पारित की जाकर प्रतिवादी को पाबंद किया जावे कि वादिया के कब्जे काश्त मालिका हक अधिकार की वादग्रस्त भूमियों से उन्हें बेदखल नहीं करें और ना ही उसके विरूद्ध किसी प्रकार की कोई बेदखली संबंधी कार्यवाही करें। अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे वो भी वादिया को दिलये जाने के कथन अपने वादपत्र में वादिया ने अंकित किए।

.....लगातार

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में अधिवक्ता वादिया व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादिया के कथन कमोबेश उनके वादपत्र अनुसार ही रहे जिन्होंने वादिया को वादग्रस्त आराजी में खातेदार काश्तकार घोषित करने के कथन किए तथा विकल्प में शुल्क अदा कर नियमन किये जाने के कथन किए। पेरोकार सरकार तहसीलदार बिजयनगर ने मौखिक कथन किए कि वादीया सरकारी भूमि पर अतिक्रमी है। न्यायालय यदि वादीया के पक्ष में नियमानुसार शुल्क प्राप्त कर नियमन करता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि ग्राम जालिया–II प्रथम पटवार हल्का जालिया–II प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जालिया द्वितीय के खाता संख्या 01 में अंकित खसरा संख्या 1598 रकबा 20–14–00 किस्म छापर राजस्थान सरकार के नाम पहाड़ी व खड्डे दर्ज है एवं इसी जमाबन्दी में नामा.सं. 3875 नि.दि. 24.01.2013 जमीन आरक्षण सम्पूर्ण निवास या बास कित्ता 8 रकबा 35–06–10 ग्राम पंचायत जालिया द्वितीय के नाम अंकन स्वीकार होना दर्ज है एवं साथ ही नामा.सं. 4102 नि.दि. 15.09.2014 आवंटन ख.नं. 681/1 (0–03) चाह खोदने हेतु भू आरक्षण का अंकन रामकरण वल्द हीरालाल शर्मा कौम ब्राह्मण सा. देह गैर खातेदार स्वीकार करते हुए शेष इन्द्राज बदस्तूर किये जाने का अंकन है। खसरा परिवर्तत निर्धारण में संवत् 2062 वर्ष 2005–06 में वादिया सूरमा पत्नी जफरू मेरात के द्वारा 04–00–00 बीघा में ज्वार व तिल काश्त किया जाना अंकित है। इसी प्रकार खसरा गिरदावरी संवत् 2063, 2064, 2067, 2069 में वादिया सूरमा पत्नी जफरू मेरात सा. देह द्वारा 04–00–00 बीघा भूमि पर ज्वार काश्त किया जाना अंकित है। इसी प्रकार संवत् 2071 की खसरा गिरदावरी में 04–00–00 बीघा भूमि पर जफरू पुत्र देवी मेरात द्वारा ज्वार काश्त किया जाना अंकित है। उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विवेचन के आधार पर वादिया श्रीमती सूरमा द्वारा ग्राम जालिया–II प्रथम के खसरा संख्या 1598 की 04–00–00 बीघा भूमि लगातार कब्जा काश्त होना दर्शित होता है। ऐसी स्थिति में वादिया का वाद आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वादिया का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम जालिया–II प्रथम पटवार हल्का जालिया–II प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जालिया द्वितीय के खाता संख्या 01 में अंकित खसरा संख्या 1598 रकबा 20–14–00 किस्म छापर में से 04–00–00 बीघा भूमि में वादिया द्वारा कब्जा काश्त किये जाने से आवंटन एवं नियमन कमेटी के समक्ष प्रकरण रखे जाने की अभिशंषा की जाती है। आवंटन एवं नियमन कमेटी नियमानुसार आवंटन एवं नियमन अधिनियम के अधीन कार्यवाही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22/9/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.16 17:21:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: